न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 10/2020 (2020/00204)

श्रीमती पार्वती देवी पत्नि श्री नारायण सिंह जाति रावत, निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला–अजमेर।
.....अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
2. नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय अजमेर तहसील अजमेर ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री नौरतमल/निर्मल कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री औमप्रकाश गुर्जर राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 30.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत 2077 में ग्राम भूडोल के ख.नं. 2384 कुल 3.43 किस्म बीड में से रकबा 0.16 हैक्टर में कॉटो की बाड लगाकर तारबन्दी कर एवं आंशिक भाग में मुर्गी फार्म बनाकर अतिक्रमण किये जाने की प0 हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर नायब तहसीलदार अजमेर द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 27/2020 पंजीबद्ध कर नोटिस जारी कर बाद विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 23.09.2020 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 23.09.2020 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम भूडोल के ख.नं. 2384 कुल 3.43 किस्म बीड में से रकबा 0.16 हैक्टर में कॉटो की बाड लगाकर तारबन्दी कर एवं आंशिक भाग में मुर्गी फार्म बनाकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर बिना विधिवत जांच किये अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 23.9.2020 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर मौखिक निवेदन किया गया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 2494 के एक भाग पर सन् 1994 में अर्थात करीब 24 वर्ष पूर्व निर्माण करवाया गया था। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 2494 एवं प्रश्नगत खसरा नं0 2384 का नाप चौक अपीलान्ट की उपस्थिति में कराये जाने का निर्देश पटवारी हल्का को दिये जावें। अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जवाब, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु भी समय दिये जाने का निवेदन किया गया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना साक्ष्य

जिला कलक्टर
अजमेर

सुनवाई, जवाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये दिनांक 23.9.2020 को ही आक्षेपित साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित कर दिया गया, जो कि निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार द्वितीय, अजमेर द्वारा प्रश्नगत आराजी बाबत अपना पूर्ण न्यायिक विवेक प्रयोग में लाये बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.9.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय (सिवाय चक) भूमि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, अतिकमी को नोटिस जारी किया जाकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट को प्रकरण में जवाब हेतु समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के तहत होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, अजमेर से इस सम्बन्ध में तलब रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्वत 2077 में ग्राम भूडोल की विवादित भूमि, राजस्व रिकार्ड में बीड चारागाह (सिवाय चक) दर्ज है। राजकीय, चरागाह भूमि पर कॉटो की बाड लगाकर/तारबंदी कर एवं आंशिक भाग पर मुर्गीफार्म बनाकर अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का भूडोल की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार अजमेर द्वितीय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये हैं, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट का कब्जा, अतिक्रमण सिवाय चक भूमि में न होकर उनकी खातेदारी भूमि में हीं हों। दौराने बहस भी ऐसे कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। चूंकि अपीलान्ट आक्षेपीय आदेश तथ्यों को जरिये ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के खण्डित कर पाने में पूर्णतया असफल रहें हैं। लिहाजा मौजूद तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारीज की जाती हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2020 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.06..2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर